न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :– 45 / 2018

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
मोहनलाल पुत्र समेलराम जाति वि नोई (लोल) निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. मांगीलाल पुत्र समेलराम जाति विश्नोई (लोल) निवासी लाम्बा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. एस.बी.आई. भाखा बिलाड़ा 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री बीरमराम विश्नोई एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार।

निर्णय   दिनांक :– 04/04/15

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध बंटवाड़ा एवं स्थायी निशेधाज्ञा का वाद पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 650 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 663 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 664 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1142 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1998 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 2015 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 2242 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 48 बीघा 10 बिस्वांशी आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/2 हिस्सा वादी मोहनलाल का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 इसके लिए तैयार नही हुआ, तो वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 650 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 663 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 664 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1142 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1998 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 2015 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 2242 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 48 बीघा 10 बिस्वां ी का बाई मीट्स एण्ड बाउंन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि (यानि 24 बीघा 05 बिस्वांशी) अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 25.02.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम लाम्बा तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 650 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 663 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 664 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 1142 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1998 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 2015 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2131/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2134 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 2242 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 48 बीघा 10 बिस्वांशी में से 1/2 हिस्से का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	मांगीलाल पुत्र समेलराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	663 663/1 650 650/1 2131 2131/1 1142 1998	0.4651 0.4652 0.6876 0.6876 0.4126 0.0081 0.7362 0.3235
	कुल योग	8	3.7859
2	मोहनलाल पुत्र समेलराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार रहन– भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलाडा	664 663/2 2242 2134 2015 1142/2 1998/1	1.6665 0.6390 0.6957 0.1618 0.1294 0.1699 0.3237
	कुल योग	7	3.7860
3	मांगीलाल पुत्र समेलराम 1/2 मोहनलाल पुत्र समेलराम 1/2 जाति विश्नोई सा.देह खातेदार (रास्ता हेतु)	663/3 650/2	0.0325 0.1619
	कुल योग	2	0.1944

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.03.2025 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी
मोहनलाल पुत्र समेलराम
जाति वि नोई (लोल)
निवासी लाम्बा तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल पुत्र समेलराम
   जाति विश्नोई (लोल)
   निवासी लाम्बा तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. एस.बी.आई. भाखा बिलाड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 45/2018

निर्णय **दिनांक :–** 04/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री बीरमराम विश्नोई अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। ख़र्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 22.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा